

उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(श्री) उपखण्ड अधिकारी भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित) 11-11-
मिशाल संख्या 208/2021 निर्णय दिनांक :- 2021

उत्तम पत्र संख्या :

.....00000.....बनाम तहसीलदार.....दुर्गा.....

उपखण्ड अधिकारी
.....दुर्गा.....

तहसीलदार.....दुर्गा.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

::: आदेश :::

.....00000 270 देवली..... निवासी.....दुर्गा.....ने प्रशासन गांवों के रांजित केम्प/राजस्थान में पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम.....दुर्गा..... जमाबंदी संख्या.....2077.....के खाता संख्या.....90में दर्ज प्रार्थी का नाम.....दुर्गा.....दुर्गा देवली.....के स्थान पर.....00000 270 देवली.....दुरुस्त रिकॉर्ड बनाने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली पर.....दुर्गा.....से अवलोकन किया गया। प्रकरण की जांच तहसीलदार.....दुर्गा.....से करवाई गई। तहसीलदार.....दुर्गा.....ने पटवार हल्का.....दुर्गा.....व भू0अ0नि0.....दुर्गा.....की रिपोर्ट प्रार्थी के नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त इन्द्राज करने की अभिशप्ता की। प्रकरण स्थान स्थित है। मजमेआम में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली गई। प्रार्थी.....दुर्गा.....से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1957 धारा 136 के राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का

स्वीकार किया जाके राजस्व गुप -6 विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक:- 4(1) 00000/19 से तहत तहसीलदार.....दुर्गा.....को वाके ग्राम.....दुर्गा.....जमाबंदी संख्या.....277.....के खाता संख्या.....90.....में दर्ज.....दुर्गा.....के नाम पर.....00000 270 देवली.....

दुरुस्त रिकॉर्ड बनाने हेतु अनुमत किया जाता है। निर्णय/आदेश की छाया प्रति तहसीलदार.....दुर्गा.....को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

दाखिल किया गया। निर्णय दिनांक 11-11-2021 में सुनाया गया।

00000
उपखण्ड अधिकारी
देवली